मोती एस भरतलाल वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र० स० 251-A मु० नं० 100/23	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जा
16/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष अपस्थित पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 30/10/25 को पेश है	
30/10/25	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/11/25 को पेश है। रीडर	R.O. भिलवाड़ा में गंगापुर पधारे हुए थे
13/11/25	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार 4.12.25 को पेश है। रीडर	पुनाड़ (कोटा)
4-12-25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दि०05 दोनों पक्षों की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं। तस्दीक की लिए पत्रावली दिनांक 8-1-2026 को पेश हो	
8.1.26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पास पक्षकार अभाव। पत्रावली पास पक्षकार अभाव। परिपत्र दिनांक 15.1.26 को पेश हो	
15.1.26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्री [illegible] 251(A) RT [illegible] प्रार्थी/अप्रार्थी ने अपने [illegible] 2011 रकबा 0.05 है० में [illegible] मकान पर आने जाने के लिए भूमि [illegible] 2022/6435 व 2022 में से अप्रार्थीगण से रास्ता चाहा है। अपने पक्ष में पक्षकार ने अप्रार्थीगण ने अंकित किया है। कि	

PTO

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:29:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों के	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि का.क.ब. [illegible] के [illegible] प्रार्थना [illegible] की भूमि [illegible] के [illegible] के विरुद्ध [illegible] प्रस्तुत किया गया है जिसमें [illegible] की धारा [illegible] में भूमि की [illegible] की [illegible] के आदेश दिये गये है इसलिए [illegible] निस्तारण फरमाया जावे।	
	चूंकि प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण जिस [illegible] से संबंध [illegible] के [illegible] हुआ अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है [illegible] आवश्यक होने पर [illegible] उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण इस संबंध के [illegible] पर आने जाने हेतु [illegible] है जो नियमानुसार नहीं है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] अन्तर्गत धारा 251(A) R.T. Act [illegible] किया जाता है [illegible] (सेवानिवृत्त) के कार्य से एक माह तक [illegible] होगा। उप जिला कलेक्टर बहीरपुर (गंगापुर सिटी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:29:15 IST
Reason: SelfAttested